न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

प्रार्थना पत्र संख्या 13 वर्ष 2015

मन्जु वगैरह बनाम रामस्वरूप वगैरह

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
15.01.2019	पत्रावली पेश हुयी । उभय पक्ष के वकील उपस्थित। उभय पक्षों क वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के वकील का कथन है कि प्रार्थीगण के पिता व पितामह की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 353 रकबा 2.93 है0 वाके ग्राम पचाला मे स्थित है। जो प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 3 व 4 के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। जिससे प्रतिपक्षी न0 1 व 2 का कोई लेना देना नही है। वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थीगण 1 ता 4 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी न0 5 व 6 का 1/4 हिस्सा तथा शेष 1/4 , 1/4 हिस्सा प्रतिपक्षी न0 3 व 4 का है। इसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिपक्षी न0 1 व 2 जबरन कब्जा करने की धमकी देते है। प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीग्ण की संयुक्त खातेदारी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। प्रतिपक्षीगण के वकील ने कथन किया कि प्रार्थीग्ण 1 ता 3 के पिता व वादी सं. 4 क पति चन्द्रप्रकाश व वादी संख्या 4 व 5 के पिता उत्तम कुमार सगे भाई थे। चन्द्रपकाश की मृत्यु उनके पिता के जीवनकाल मे हो गई थी। इनके पिता सुरजमल शर्मा का निधन दिनांक 7.6.16 को हुआ था । सुरजमल शर्मा की मृत्यु के समय उनके विधिक वारिसान मे पत्नी श्रीमती रामकन्या, पुत्र चन्द्रपकाश के विधिक वारिसान एवं उत्त्म कुमार एवं चन्द्रभागा एवं संतोष प्रत्येक 1/5 भाग का स्वमी व अधिकारी हुये। दिनांक 28.11.2009 को उत्तम कुमार का भी निधन हो गया। श्रीमती रामकन्या ने प्राकृतिक प्रेम व स्नेह से प्रसन्न होकर अपने जीवनकाल म अपने हिस्से की भूमियों के सम्बन्ध मे दिनांक 8.1.2013 को पंजीकृत इच्छा पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे निष्पादित कराया। श्रीमती रामकन्या ने प्रतिपक्षी न0 2 के पक्ष मे वसीयात की है। श्रीमती रामकन्या मृत्युपर्यन्त अप्रार्थी संख्या 2 के पास उसके बून्दी स्थित पिता के रिहायशी पर रही, जिनकी सेवा सुश्रषा प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा की गई है। श्रीमती रामकन्या की मृत्यु दिनांक 4.9.2013 को बून्दी मे हो गई। प्रतिपक्षी न0 2 उनके जीवनकाल से ही उनके हिस्से की भूमि की सार संभाल करता था तथा वर्तमान मे भी करता चला आ रहा है। वसीयात के प्रभाव मे आने के बाद प्रतिपक्षी न0 2 श्रीमती	

Scanned by CamScanner

रामकन्या के 1/5 हिस्से का मालिक व स्वामी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रर्थीग्ण के पक्ष मे नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

नकल जमाबन्दी सम्वत 2064–67 वाके ग्राम पचाला मे आराजी ख0न0 353 रकबा 2.93 सुरजमल पुत्र जगन्नाथ कोम ब्राहम्ण सा0 देह भूदान गृहिता गेर खातेदार दर्ज थी जो ना.स. 667 दिनांक 7.5.08 से विरासत द्वारा सुरजमल के बजाय उत्तम कुमार पुत्र चन्द्रभागा, सतोष पुत्रियां रामकन्या ध0प0 सुरजमल , मन्जु राजेश ममता पुत्रियां शान्ती देवी धर्मपत्नी चन्द्रपकाश कोम ब्राहम्ण सा0 भूदान गृहिता गेर खातेदार स्वीकार हुआ। ना.स. 780 दि0 5.10. 10 से विरासत द्वारा उत्त्म कुमार पुत्र सुरजमल हि0 1/5 के बजाय रीना अर्चना पुत्रियां उत्त्म कुमार हि0 1/5 शेष बदस्तुर रहा। प्रतिपक्षी न0 2 के द्वारा श्रीमती रामकन्या के द्वारा दिनांक 8.1.2013 को अपने पक्ष मे की गई रजिस्टर्ड वसीयत की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वर्तमान मे प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है।

प्रस्तुत प्रकरण मे मुख्य विवाद का कारण उक्त वसीयत ही है। उक्त वसीयत के बारे मे वास्तविक तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य व सबूत आने पर ही तय हो पावेगे। यदि वाद के दौरान भूमि का बेचान हो जाता है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता बढेगी। ऐसी स्थित मे न्यायालय दिनांक 17.3.2015 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद सम्पुष्ट करना उचित समझता है। अतः दिनांक 17.3.2015 को जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद सम्पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो।

Scanned by CamScanner